

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-दो

गुरुवार, दिनांक 27 फरवरी, 2025 (फाल्गुन 8, 1946)

माननीय श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य की जमानत पर रिहाई की सूचना.

पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार की ओर से यह सूचना दी गई है कि—

“थाना सिटी कोतवाली, बलौदाबाजार में दर्ज अपराध क्रमांक 386 / 2024, धारा 153क, 505(1)(ख)(ग), 109, 120बी, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 307, 435, 436, 341, 427 भादवि एवं 3, 4 लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम के अपराध में लिप्तता एवं सक्रियता के साक्ष्य प्राप्त होने पर दिनांक 17.08.2024 को विधान सभा सदस्य, श्री देवेन्द्र यादव, (भिलाई नगर—विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 65) को गिरफ्तार किया गया था।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 20.02.2025 को श्री देवेन्द्र यादव को जमानत में रिहा करने का आदेश पारित किया गया था। तदोपरांत दिनांक 21.02.2025 को श्री देवेन्द्र यादव को केन्द्रीय जेल, रायपुर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत में रिहा किया गया है।”

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा